

प्रेस नोट

पुलिस जिला अजमेर

दिनांक 13.01.18

(गिरफ्तार श्रुदा अभियुक्तगण के कब्जे से 1 ओर
मोटरसाईकिल बरामद

एक दिन के पी./सी. रिमाण्ड पर)

पूर्व में अभियुक्तगण के कब्जे से 6 मोटरसाईकिल बरामद हो
चूकी है

पुलिस थाना क्रि.गंज जिला अजमेरपुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चोरी नकबजनी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान विजेन्द्रसिंह पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना क्रि.गंज अजमेर ने टीम वर्ग का गठन कर साईबर सेल प्रभारी श्री जगमाल हैड़ कानि. मय टीम की मदद से तीन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाईकिले बरामद की गई तथा अभियुक्तगण 1. श्री सोहन सिंह निवासी ग्राम डुंगरिया कलां, पोस्ट कड़ेल थाना पुष्कर जिला अजमेर, 2. श्री दीपक दायमा निवासी काला बांटा घाटी, ग्राम कड़ेल, थाना पुष्कर जिला अजमेर 3. श्री शिवराज सैनी निवासी आंगन बाड़ी के पास,

ग्राम बांसेली, थाना पुष्कर जिला को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्तगण के कब्जे से कल दिनांक 12.8.17 को 6 मोटरसाईकिल चोरी की बरामद की थी। अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में पेश कर एक दिन के पी./सी. रिमाण्ड प्राप्त कर पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने दिनांक 28.12.17 को रात्री के समय में कबीर नगर लोहागल में कपड़ों की दुकान में से कपड़े चोरी करने की वारदात करना स्वीकार किया। अभियुक्तगण के कब्जे से एक ओर मोटरसाईकिल बरामद की गई। अभियुक्तगण के कब्जे से 7 मोटरसाईकिले बरामद हो चुकी है जो अलग अलग जगह से चोरी करना बता रहे है। अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत मुल्जिम को गिरफ्तार

पुलिस थाना दरगाह जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह एवं पुलिस उप अधीक्षक शहर वृत दरगाह ओमप्रकाश के निर्देशन में फरार चले रहे स्थाई वारटी की तलाश हेतु थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह के नेतृत्व में उदयभानसिंह सुनिल, दीपक की टीम का गठन किया गया टीम द्वारा स्थाई वारटी शेख फिरोज पुत्र नसीर खा उम्र 37 साल जाति मुसलमान निवासी पठान चौक मदरसे के पास थाना नागपुरी गेट अमरावती महाराष्ट्र को अमरावती महाराष्ट्र राज्य से गिरफ्तार किया गया उक्त स्थाई

वारंटी वर्ष 1999 से चोरी के प्रकरण में फरार चल रहा था जिसको टीम द्वारा अमरावती महाराष्ट्र जाकर दबिष देकर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना रामगंज आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकदमें दर्ज पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत को ही मुकेश कुमार स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा थाना क्षेत्र किसान भवन के सामने दबिष देकर मुल्जिम लतिफ भाई पुत्र अषद भाई जाति मुसलमान उम्र 22 साल निवासी मौहल्ला मलेकवास खेरालु थाना खेरालु जिला मेहसाना गुजरात के कब्जे से 91 केन (500एमएल) के जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया एवं मुल्जिम के विरूद्ध मु0न0 17/18 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस थाना रामगंज क्षेत्र सब्जी मण्डी के सामने भरत सिंह हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा दबिष देकर हमिद खान पुत्र षादिक खान जाति पठान मुसलमान उम्र 38 साल निवासी गांव खेरालु थाना खेरालु जिला मेहसाना गुजरात के कब्जे से 48 पव्वे अग्रेजी शराब के जप्त कर मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया एवं मुल्जिम के विरूद्ध मु0न0 18/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने

पर 1 गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज शांती व्यवस्था भंग करने पर मनोज पुत्र रामस्वरूप जाति कोली उम्र 38 साल निवासी जागृति नगर सतगुरूकॉलोनी अजयनगर पुलिस थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना केकडी एचसी 387 षिवचरण के द्वारा गैरसायल श्री गिरीराज ढोली पुत्र जगदीष ढोली उम्र 30 साल निवासी नेवडीया थाना टोडारायसिंह जिला टोंक को शांती भंग करने पर धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया ।

लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये 18 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर राजेन्द्र सिंह के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 13.01.18 को सहायक पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आई.पी.एस. वृत (दक्षिण) अजमेर के निर्देशन में थानाधिकारी रामअवतार पु.नि. के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम का गठन कर एक स्थायी वारण्टी पंकज फोकलिया प्रो. अनूज एडवरटाई हटडियों का चौक तारी बावरी पोगल पाडा जोधपुर व एक गिरफ्तारी वारण्टी को गिरफ्तार किया गया जाकर निस्तारण किया गया व आर्म्स एक्ट के तहत 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व लोक सभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुये आपराधिक, बदमाष प्रवृति के 05 व्यक्तियों को शांति भंग कर लडाई झगडा करते हुये को धारा 151 सी आर पी सी में गिरफ्तार किये गये, 60 पुलिस एक्ट में 05 व एम वी एक्ट के तहत 05 कार्यवाही की गयी। अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

